<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/एल आर/5118/2005/बारां</u>

1.श्रीमती प्रेमलता धर्मपत्नी श्री दिलीपकुमार जाति महाजन

2. दिलीप कुमार आत्मज श्री रघुनाथ जाति महाजन निवासीगण ग्राम पाटोन्दा तहसील अन्ता जिला बांरा

अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. मोहन लाल आत्मज श्री देवी लाल जाति कीर निवासी ग्राम तीखोद तहसील अन्ता जिला बांरा
2. दी स्टेट आफ राजस्थान

प्रत्यर्थी

एकल पीठ
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री बसन्त विजयवर्गीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री धनेश दत शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थी
श्री थानेश्वर शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांक 24.03.2021

1. यह अपील अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 28–9–2005 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी मोहनलाल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां के समक्ष वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के तहत राज्य सरकार एवं अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 31–03–2001 से वाद को आंशिक स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 1536 के पश्चिम की तरफ की भूमि में से 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी मोहनलाल के खाते दर्ज करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–09–2005 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने मण्डल के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधिनियम की धारा 88 व 89 के तहत पेश किए गए वाद को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र में तब्दील कर तथा प्रार्थना पत्र को पोषणीय होना मानकर विधिक त्रुटि की है। उनका तर्क है कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में दिनांक 21–11–1995 को संशोधन हो चुका है। उसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी को सिर्फ लिपकीय त्रुटि या जहां दोनो पक्षकार स्वीकार करते हो उसे दुरूस्त करने का अधिकार है। वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा चाहा गया अनुतोष इस श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं था। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 2 को पक्षकार बनाये बिना ही एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया है। आक्षेपित आदेश से अपीलार्थी के खाते की भूमि कम होगी इसलिए अपीलार्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी संख्या 1 के साथ अपील पेश की है। इसलिए अपीलार्थी संख्या 2 को भी अपील पेश करने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर आर टी 2017(2) पेज 1264, आर आर टी 2015(1) पेज 10, आर आर डी 2002 पेज 158, आर आर डी 2001 पेज 409, आर एल डब्ल्यू 2007 (2) पेज 1202, डी एन जे 2003 (1) पेज 193, आर आर टी 2002(1) पेज 334, आर आर टी 2017(1) पेज 415, आर एल डब्ल्यू 2005 (5) पेज 26, एस सी सी 2004 (2) पेज 130 एवं आर आर टी 2007 (2) पेज 1224 की नजीरें पेश की।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि उसको लगभग 24 वर्ष पूर्व दिनांक 28–05–1981 को खसरा नम्बर 1424 रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था उसके द्वारा धन राशि भी जमा करवा ली गई उसके बावजूद उससे न तो वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिया गया तथा न ही गैर खातेदारी में दर्ज की गई। अपीलार्थी गांव की एक प्रभावशाली महिला है। जिसकी सीलिंग में अवाप्त भूमि में से 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। लेकिन भू–प्रबन्ध के समय अपीलार्थी ने भू–प्रबन्ध विभाग से मिलकर सीलिंग में

अवाप्त भूमि को भी अपने कब्जे में लेकर अपने खाते में दर्ज करवा ली। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का जो आक्षेपित आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज योग्य है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2017 (2) पेज 1264 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 136 के तहत केवल लिपिकिय त्रुटि को सही किया जा सकता है अथवा पक्षकारों की सहमति से कोई भी त्रुटि सही की जा सकती है। आर आर टी 2015(1) पेज 10 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। आर आर डी 2002 पेज 158 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 136 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण लिपिकिय त्रुटि या पक्षकारों के द्वारा स्वीकृत त्रुटि के लिए ही हो सकता है वह भी पक्षकारों को जिसके कि हित प्रभावित हो उन्हें सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद ही किया जा सकता है। आर आर डी 2001 पेज 409 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। आर एल डब्ल्यू 2007 (2) पेज 1202 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रभावित पक्षकार को धारा 88 के तहत घोषणा का वाद प्रस्तुत करना चाहिए। यही सिद्धान्त अन्य नजीरों में भी प्रतिपादित किया गया है।

8. उक्त न्यायिक दृष्टन्तों का अवलोकन करने के पश्चात पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी मोहनलाल ने अधिनियम की

धारा 88 एवं 89 के तहत वाद प्रस्तुत किया। बाद में दिनांक 28–2–2001 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर संशोधन चाहा गया। जिसका विपक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12–2–2001 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को 100/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय ने वादपत्र की प्रकृति व तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं होना मानते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार संशोधन कर दिया। विचारण न्यायालय ने पूर्व वाद को विड्रा करने के कोई आदेश पारित नहीं किए और पूर्व में प्रस्तुत किए गए वाद के अनुसार वाद आंशिक रूप से डिक्री कर इस आशय की डिक्री जारी कर दी की ग्राम पाटोन्दा की भूमि खसरा नम्बर 1536 के पश्चिम की तरफ की भूमि में से 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादी मोहनलाल के खाते दर्ज की जावे। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील पोषणीय नहीं थी। इसके अतिरिक्त जब एक बार अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के न्यायालय में धारा 76 भू राजस्व अधिनियम की अपील प्रस्तुत की जा चुकी थी तो पुनः मण्डल के समक्ष धारा 76 के तहत अपील पोषणीय नहीं रहती है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मण्डल के समक्ष पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य